राजस्व रेफरेन्स आवेदन पत्र/313/2011/सरकार बनाम जगमाल

A 3/3

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2021	प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्राथी सं. 1/2 व 1/3 के अधिवक्ता श्री अमृतलाल जैन एवं अप्राथी सं. 2 के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोलंकी उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। तहसीलदार गुडामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा भाखरपुरा के खसरा नंबर 491 में से रकबा 20 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु निवेदन किया है।	

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा भाखरपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 491 रकबा 2319-06 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदीं आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत 2012 अर्थात सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जाँच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूलं की है, जो निरस्त करने योग्य है। जहां तक अप्रार्थी सं. 1/2 व 1/3 की ओर से प्रस्तुत अभिकथन कि प्रश्नगत भूमि उसके पूर्वजों के समय से आंवटन अनुसार कब्जा काश्त की है तथा मौके पर भूमि काश्त योग्य है, यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी को आवंटन होने के बाद खातेदारी अधिकार सरकार द्वारा दिये गये थे। अप्रार्थी ने उक्त भूमि को रहन (मोरगेज) कर ऋण प्राप्त किया गया है। ऐसे में जब तक रहन मुक्त नहीं हो जावे तब तक अप्रार्थी बैंक के हितों के विपरीत कोई भी आदेश नहीं लिया जावे। प्रश्नगत भूमि विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 01.06.1968 को ग्राम भाखरपुरा के खसरा नं. 491/16 रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.01.06 12:18:02 IST
Reason: SelfAttested